

## कार्यालय

न्यायालय, जिला लोकपाल, मन्नेरगा

समाह्वयणालय परिसर, शेखपुरा, बिहार

परिवाद निष्पादन प्रपत्र

पत्रांक 53/19/2018-18 /

दिनांक 13.02.2018

माह जनवरी, वर्ष 2018

क्र० सं०.	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवार शिकायत पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवार पत्र की संख्या	लोकपाल द्वारा पारित निष्पादन के क्रम में आदेश	अभ्युक्ति
1	ई० पंकज सिन्हा,	3	13	16	13	<p>1. ग्राम पंचायत हुसैनबाद के अंतर्गत मनरेगा योजनाओं में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया। (वाद संख्या 05/वर्ष 2017-18 दिनांक 01.12.2017 को दर्ज किया गया) निष्पादन लंबित है।</p>	<p>शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त आए दिन किसी न किसी रूप में अलग अलग शिकायतकर्ताओं के द्वारा एवं जनता के अगुठे एवं हस्ताक्षर की सही पहचान नहीं होने पर लोकपाल कार्यालय, ग्राम पंचायत हुसैनबाद के कुल सभी 166 योजनाओं पर माह फरवरी 2018 में 15 फरवरी एवं 16 फरवरी को अस्थाई अदालत मध्य विद्यालय, हुसैनबाद प्रांगण में लगाना सुनिश्चित किया है। जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में दिया जाना सुनिश्चित हुआ है। निष्पादन लंबित है।</p>
						<p>2. श्रीमति शर्मिला देवी, पति-दुसी यादव, ग्राम पंचायत राज नवय, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत रोजगार अंतर्गत रोजगार कार्ड/जॉबकार्ड मांगा गया था। वाद संख्या 07/वर्ष 2017-18 दिनांक 13.01.2018 में दर्ज किया गया है। दिनांक 25.01.2018 को निष्पादित किया गया।</p>	<p>परिवाद श्रीमति शर्मिला देवी द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत रोजगार कार्ड/जॉबकार्ड शिकायत के उपरान्त दिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड-शेखपुरा के पत्रांक 10, दिनांक 19.01.2018 द्वारा बताया गया। अतः वाद को निष्पादित किया गया।</p>
						<p>3. श्रीमति प्यारी देवी, पति-किशोरी यादव, ग्राम पंचायत राज नवय, जिला-शेखपुरा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत रोजगार कार्ड/जॉबकार्ड मांगा गया था। वाद संख्या 08/वर्ष 2017-18 दिनांक 13.01.2018 में दर्ज किया गया है। दिनांक 25.01.2018 को निष्पादित किया गया।</p>	<p>परिवाद श्रीमति प्यारी देवी द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत रोजगार कार्ड/जॉबकार्ड शिकायत के उपरान्त दिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड-शेखपुरा के पत्रांक 10, दिनांक 19.01.2018 द्वारा बताया गया। अतः वाद को निष्पादित किया गया।</p>

शेष अगले पृष्ठ पर

**कार्यालय**  
**न्यायालय, जिला लोकपाल, मन्नेरगा**  
**समाह्वयणलय परिसर, शेखपुरा, बिहार**  
**परिवाद निष्पादन प्रपत्र**

पत्रांक <u>S3/akhya/2018-18</u> /					दिनांक <u>13.02.2018</u> /	माह जनवरी, वर्ष 2018	
क्र० सं०.	लोकपाल का नाम	माह के आरम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद शिकायत पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद पत्र की संख्या	लोकपाल द्वारा पारित निष्पादन के क्रम में आदेश	अभ्युक्ति
1	ई० पंकज सिन्हा,	3	13	16	13	4. श्रीमति जीरवा देवी, श्री फुलेश्वर राम, श्री संजय राम, श्री नकुल राम, और आशा देवी, ग्राम पंचायत गगरी, प्रखंड-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत रोजगार कार्ड/जॉबकार्ड अलग-अलग आवेदन में मांगा गया था। वाद संख्या क्रमशः 09, 10, 11, 12, एवं 13/वर्ष 2017-18 दिनांक 15.01.2018 में दर्ज किया गया है। दिनांक 25.01.2018 को निष्पादित किया गया।	श्रीमति जीरवा देवी, श्री फुलेश्वर राम, श्री संजय राम, श्री नकुल राम, और आशा देवी, ग्राम पंचायत गगरी, प्रखंड-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत रोजगार कार्ड/जॉबकार्ड शिकायत के उपरंत दिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड-शेखपुरा के पत्रांक 10 एवं 12, दिनांक 19.01.2018 द्वारा बताया गया। अतः वाद को निष्पादित किया गया।
						5. श्री विश्वनाथ कुमार, श्रीमति राधिका देवी, श्रीमति खुशबु देवी, श्रीमति आरती देवी, श्री मनोज कुमार सिंह, एवं श्री नित्यानंद सिंह, ग्राम पंचायत गगरी, प्रखंड-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत रोजगार कार्ड/जॉबकार्ड अलग-अलग आवेदन में मांगा गया था। वाद संख्या क्रमशः 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19/वर्ष 2017-18 दिनांक 16.01.2018 में दर्ज किया गया है। दिनांक 25.01.2018 को निष्पादित किया गया।	श्री विश्वनाथ कुमार, श्रीमति राधिका देवी, श्रीमति खुशबु देवी, श्रीमति आरती देवी, श्री मनोज कुमार सिंह, एवं श्री नित्यानंद सिंह, ग्राम पंचायत गगरी, प्रखंड-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत रोजगार कार्ड/जॉबकार्ड शिकायत के उपरंत दिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड-शेखपुरा के पत्रांक 11, दिनांक 19.01.2018 द्वारा बताया गया। अतः वाद को निष्पादित किया गया।

ई० पंकज सिन्हा,  
जिला लोकपाल (मन्नेरगा),  
शेखपुरा (बिहार) ..